राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य,सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

क्रमांक:–एफ.05(सा.शा.)सपआम / 2015 / 682 दिनांक:– 23/4/15

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक 14–18 दिनांक 01.01.2015 की अनुपालना में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के अ.शा.टीप संख्या 12–13 दिनांक 01.01.2015 में प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के संवैधानिक व मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किये गये "महिलाओं का कार्य–स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानान्तर्गत महिलाओं के लैंगेक उत्पीडन से संबंधित शिकायतों को सुनने व निराकरण करने हेतु डॉ0 (श्रीमती) रेखा आचार्य, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पीएसएम की अध्यक्षता में इस महाविद्यालय के निम्नलिखित चिकित्सकों को शामिल करते हुए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था:–

1.	डॉ0 (श्रीमती) रेखा आचार्य, आचार्य व विभागा., पीएसएम	अध्यक्ष
2.	डॉ0 (श्रीमती) वनिता कुमार, सह–आचार्य, पैथोलोजी	सदस्य
3.	डॉ0 बी. के. बिनावरा, सह–आचार्य, शरीर क्रिया	सदस्य
4.	डॉ0 (श्रीमती) योगिता सोनी, सह–आचार्य, जीवरसायन	सदस्य

अब, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्रांक प.2(59) साशा/ चिशिनि / 2015 / 1475 दिनांक 21.04.2015 द्वारा इस समिति में एक एनजीओ सदस्य को भी सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित करने के फलस्वरूप उक्त समिति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

1.	डॉ0 (श्रीमती) रेखा आचार्य, आचार्य व विभागा., पीएसएम	अध्यक्ष
2.	डॉ0 (श्रीमती) वनिता कुमार, सह–आचार्य, पैथोलोजी	सदस्य
3.	डॉ0 बी. के. बिनावरा, सह–आचार्य, शरीर क्रिया	सदस्य
4.	डॉ0 (श्रीमती) योगिता सोनी, सह–आचार्य, जीवरसायन	सदस्य
5.	डॉ0 शुक्ला बाला पुरोहित	एनजीओ सदस्य (9314022026)

अत: कमेटी के सभी सदस्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिमाह की 20 तारीख (20 को अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस पर) को बैठक आयोजित कर उसकी सूचना तुरंत निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें ताकि सूचना मासिक सूचना के रूप में निदेशालय को भिजवाई जा सकें एवं भविष्य में उपरोक्त संदर्भित मामलों की पूर्ण जाचं कर रिपोर्ट शीघ्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें ताकि संबंधित रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर को समय पर भिजवाई जा सकें।

यह आदेश इस कार्यालय के पूर्व आदेशांक 55 दिनांक 12.01.2015 की निरंतरता में जारी किये जाते है।

प्रधानाचार्य,
स.प.आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
बीकानेर।